THE DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) A proposal is currently under consideration of the Government for a joint military exercise between the Indian and US Navies. A decision has not yet been taken.

भारत में कम्प्यूटर विकास

341. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर विकास के क्षेत्र में भारत अन्य देशों में इसकी औसत दर की तुलना में पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलिरियो): (क) और (ख) भारत में प्रति एक हजार व्यक्ति पर कम्प्यूटरों की संख्या 0.7 है जबकि इसकी तुलना में विश्व का औसत 25 है। इसका कारण यह है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार अभी तक व्यापक रूप से नहीं किया गया है। किन्तु भारत में कम्प्यूटर के विकास में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस समय भारत में कम्प्यूटर के विकास की औसत वृद्धि दर 23% दर है जबकि विश्व में औसत वृद्धि दर 7% है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी की मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए पहल किए है। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्य करने के लिए उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) पुणे, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआरएण्डडीसी) और इलेक्ट्रानिक डिजाइन तथा परीक्षण केन्द्र में सुविधाएं स्थापित की गई है। ये केन्द्र मुख्यतः समानांतर अभिकलन, प्रतिबिम्ब संसाधक तथा साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास तथा उसका दर्जा बढ़ाने के लिए अनुसंधान तथा विकास के कार्य कर रहे हैं।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने साफ्टवेयर निर्यात के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की कई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने पुणे, हैदराबाद, बंगलौर, गांधीनगर, नोएडा, भुवनेश्वर तथा त्रिवेन्द्रम में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने पूरे देश में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग उपलब्ध कराने की सुविधा स्थापित की है। इलेक्ट्रानिकी विभाग भी सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। आरम्भ की गई परियोजनाओं में आयकर विभाग सीमाशुल्क, पुलिस विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो आदि का कम्प्यूटरीकरण शामिल है।

इलेक्ट्रानिक मेल बुलेटिन बोर्ड जैसे व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले अनुपयोगों तथा वर्ल्डवाइड वेब (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) जैसे इन्टरनेट अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) नामक नेटवर्क पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आई-नेट, आरएबीएमएन जैसे सार्वजनिक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (वैन) दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। वैन पर आधारित अनुप्रयोगों के लिए वीसैट रप आधारित नेटवर्क भी कार्यान्वित किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन साधनों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास नामक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखत शामिल हैं:—

1. भारतीय भाषाओं के मूल-पाठ के शब्द-संग्रह का विकास

2. मशीन साधित अनुवाद प्रणाली

3. प्राकृतिक भाषा संसाधन के मूलतत्व

4. कम्प्यूटर साधित अध्ययन एवं अध्यापन पैकेजों का विकास

सरकार ने आभासी वास्तविकता, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल की है जिनके विकास की प्रचुर संभावनाएं है। देश में आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी के बारे में

जागरूकता पैदा करने, विकास कार्य करने तथा अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आभास वास्तविकता विशेष अभिरूचि बल का गठन किया गया है।

Inter-State River Water Sharing

342. SHRI RAHAS BIHARI BARIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to frame guidelines for sharing of water from inter-State rivers;

(b) if not, the specific steps proposed to be taken on the sharing of waters; and

(c) the steps taken to settle the inter-State river water disputes pending between different States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Yes, Sir. There is a proposal for adopting a National Policy guidelines for water allocation of inter-State rivers amongst States to provide a basis for allocation of waters of inter-State rivers.

(c) Under Article 262 of the Constitution of India, the Government of India has enacted inter-State Water Disputes Act, 1956 for adjudication of disputes relating to waters of Inter-State rivers and river valleys. In the past, sharing of waters of many inter-State rivers have been solved amicably through negotiations and inter-State agreements arrived at. In a few cases where this procedure could not produce the desired result, the disputes had been settled through water dispute tribunals as in the case of—

1. Krishna Water Disputes
2. Godavari Water Disputes
3. Narmada Water Disputes

At present Ravi-Beas and Cauvery Water Disputes are under adjudication in Tribunals.

On the recommendations of National Water Resources Council, the Union Government set up a Standing Committee in April, 1990 under the Chairmanship of Minister for Water Resources with Union Ministers for Agriculture, Energy and Urban Development, Ministers of State for Environment & Forests and Science & Technology as Members and Chief Ministers of concerned States as special invitees to resolve issues connected with inter-State water disputes.

Stockists of Hindustan Paper Corporation

343. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Hindustan Paper Corporation has appointed stockists for Gurgaon;

(b) if so, what was the criteria adopted;

(c) when was the total number of applicants;

(d) on what criterial Hindustan Paper Corporation has appointed M/s. Jackson Mayo and Golden Newsprints as stockist at Delhi; and

(e) what was the total number of applicants and the reasons for which they were not selected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) to (e) Hindustan Paper Corporation Ltd. recently appointed one stockist for Gurgaon and two stockists for Delhi (M/s. Jackson Mayo & Associates and M/s. Golden Newsprint Pvt. Ltd.) on provisional basis.

According to Hindustan Paper Corporation, the main criteria for appointment of stockists are their ability to place indents, stock their goods and sell their products in the market in bulk quantity and at the same time ensuring timely payment.